DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
दिल्ली विधान सभा

REPORT
OF THE
COMMITTEE
ON QUESTIONS & REFERENCE
(FIRST REPORT)

(PRESENTED ON 29th MARCH, 2016)

प्रश्न एवं संदर्भ समिति का

प्रथम प्रतिवेदन

(29 मार्च, 2016 को प्रस्तुत)

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
OLD SECRETARIAT, DELHI – 110054

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, पुराना सचिवालय
दिल्ली - 110054

संख्या S.No	विषय सूची CONTENTS	पृष्ठ संख्या Page No.
1	समिति का गठन Composition of the Committee	1-2
2	प्रस्तावना Preface	3-4
3	प्रतिवेदन Report	5-8

****

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
QUESTIONS & REFERENCE COMMITTEE
COMPOSITION OF THE COMMITTEE

1.	**Smt. Bandana Kumari**	**Chairperson**
2.	Shri Amanatullah Khan	Member
3.	Ch. Fateh Singh	Member
4.	Shri Saurabh Bhardwaj	Member
5.	Shri Raghuvinder Shokeen	Member
6.	Ms. Bhawna Gaur	Member
7.	Shri Gulab Singh	Member
8.	Shri Dinesh Mohaniya	Member
9.	Shri Om Prakash Sharma	Member

SECRETARIAT:

1.	Sh. Prasanna kumar Suryadevara	Secretary
2.	Sh. Mahendra Gupta	Deputy secretary

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
QUESTIONS & REFERENCE COMMITTEE

PREFACE

I, the Chairperson, Question & Reference Committee having been authorized by the Committee to submit the report on their behalf in the matter of complaint of Hon'ble MLA Ch. Fateh Singh regarding incorrect reply by the Transport Department against his Un-starred Question No.28 dated 23/11/2015, present this Ist Report (VIth Vidhan Sabha) for the year 2015-16.

The Report was considered and adopted by the Committee in its sitting held on 21-03-2016

(BANDANA KUMARI)
DEPUTY SPEAKER & CHAIRPERSON
QUESTIONS & REFERENCE COMMITTEE

REPORT OF THE QUESTIONS AND REFERENCE COMMITTEE
FIRST REPORT

Functions of the Committee

The functions of the Committee are laid down in Rule 226 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly of NCT of Delhi. It reads as follows:-

"226. Functions of the Committee

1. If a reply to question is not received from the Government within time or the reply received is not satisfactory and the Speaker considers it expedient to do so, he may refer the matter to the Questions and Reference Committee.
2. Besides questions, any other matter concerning the House not included within the jurisdiction of other Committee under these rules, may be referred by the Speaker to the said Committee for consideration."

Brief facts:

Hon'ble Member Ch. Fateh Singh wrote a letter to Hon'ble Speaker alleging that he had received incorrect reply to his Unstarred Question No.28 dated 23.11.2015 pertaining to the Transport Department (Reply to the Question is placed at Annexure A). The Hon'ble Member was of the opinion that the reply given by the department was at variance with the information that was obtained under RTI on the same subject from the same department.

The Hon'ble Member through Un-starred Question 28 had sought to know whether the Government had accepted the proposal to allow DSIR (a private agency) to provide training in offering first aid. The Department replied that it had not been accepted. The Hon'ble Member informed the Hon'ble Speaker through his letter dated 11.1.2016 that this reply was incorrect as the Department and the Hon'ble Minister had accepted the proposal. He provided copies of documents procured under the RTI Act, in support of his contention.

The Committee decided to seek the explanation of the Transport Department and consequently, a meeting of the Questions & Reference Committee was convened on 10.2.2016.

Department's Reply:

In the meeting held on 10.2.2016, the Principal Secretary (Transport), Shri Parimal Rai informed the Committee that in June 2012, the Department had proposed to allow additional agencies to give training in offering first aid, which is a pre-condition for issue of Conductor's licence under the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993. He informed that presently, this training was being imparted only by one agency i.e St. John's Ambulance Association of India as a result of which the applicants had to wait for a long time. Hence, the Department had proposed that more agencies such as NGOs/Societies/ Hospitals/Nursing Homes be also allowed to impart this training. As an amendment to the

Delhi Motor Vehicles Rules, 1993 was necessary to incorporate these changes, the proposal was submitted to the Hon'ble Lieutenant Governor, who was the Competent Authority, for approval. However, the Hon'ble Lieutenant Governor had observed that draft norms and guidelines in consultation with the Health Department be laid down. The Principal Secretary (Transport) contended that as the Competent Authority had not approved the proposal, hence the reply of the Department to the Un-starred Question was not factually incorrect. He however admitted that the reply should have been more elaborate giving out the facts and present status of the proposal.

The Principal Secretary (Transport) also admitted that there had been considerable delay in finalizing the proposal after it was returned by the Hon'ble Lieutenant Governor in 2012. He assured that the notification of the amendment in the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993 would be issued within a period of two months.

Recommendations: The Committee took note of the fact that the proposal to allow DSIR to provide training in offering first aid services was accepted by the department and the Hon'ble Minister and was forwarded to Hon'ble L.G. for approval. The Committee took serious note of the fact that the answer to part-II of the un-starred question posed by honourable Member Ch. Fateh Singh did not reflect the factual position leading to another inaccurate reply to Part-III of the said question. The Committee also took note of the fact that Honourable L.G. returned the proposal authorizing laying down of norms and guidelines in consultation with the Health Department can, in no way, be construed as non-approval of the proposal. In fact, the essence of the note recorded by Honourable L.G. is that the Transport Department was authorized to issue necessary notification with the concurrence of Health Department. The Committee opined that the reply to the Un-starred Question was drafted in a mechanical way without giving out all the facts and the present status of the proposal. Assembly Questions are a crucial instrument for the Hon'ble Members to seek information on various proposals and projects of the Government. The Committee warned the department concerned to ensure that such factual misrepresentation does not take place in future. The Committee hopes that Transport Department in particular and all other Departments in general would realize the importance of legislative tools and submit their replies with due diligence and care.

(BANDANA KUMARI)
DEPUTY SPEAKER & CHAIRPERSON
QUESTIONS & REFERENCE COMMITTEE

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

दिल्ली विधान सभा

REPORT
OF THE
COMMITTEE
ON QUESTIONS & REFERENCE
(FIRST REPORT)

(PRESENTED ON 29th MARCH, 2016)

प्रश्न एवं संदर्भ समिति का

प्रथम प्रतिवेदन

(29 मार्च, 2016 को प्रस्तुत)

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
OLD SECRETARIAT, DELHI – 110054

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, पुराना सचिवालय
दिल्ली - 110054

संख्या S.No	विषय सूची CONTENTS	पृष्ठ संख्या Page No.
1	समिति का गठन Composition of the Committee	1-2
2	प्रस्तावना Preface	3-4
3	प्रतिवेदन Report	5-8

****

दिल्ली विधान सभा

प्रश्न एवं संदर्भ समिति

<u>समिति का गठन</u>

1.	श्रीमती बन्दना कुमारी	सभापति
2.	श्री अमानतुल्लाह खान	सदस्य
3.	चौ. फतेह सिंह	सदस्य
4.	श्री सौरभ भारद्वाज	सदस्य
5.	श्री रघुविन्द्र शौकीन	सदस्य
6.	सुश्री भावना गौड़	सदस्य
7.	श्री गुलाब सिंह	सदस्य
8.	श्री दिनेश मोहनिया	सदस्य
9.	श्री ओम प्रकाश शर्मा	सदस्य

<u>सचिवालय</u>

1.	श्री प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा	सचिव
2.	श्री महेन्द्र गुप्ता	उप-सचिव

दिल्ली विधान सभा

प्रश्न एवं संदर्भ समिति

****

प्रस्तावना

मैं, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर माननीय सदस्य चौ. फतेह सिंह द्वारा उनके अतारांकित प्रश्न संख्या-28 दिनांक 23-11-2015 का परिवहन विभाग द्वारा गलत उत्तरदिये जाने के संबंध में की गई शिकायत के मामले के विषय में समिति का वर्ष 2015-16 के लिए यह प्रथम प्रतिवेदन (छठी विधान सभा) प्रस्तुत करती हूं ।

समिति द्वारा इस प्रतिवेदन पर इसकी दिनांक 21-03-2016 को संपन्न बैठक में विचार एवं स्वीकार किया गया।

(बन्दना कुमारी)
उपाध्यक्ष एवं सभापति
प्रश्न एवं संदर्भ समिति

प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रतिवदेन
(प्रथम प्रतिवेदन)

समिति के कार्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालय नियमों के नियम 226 के अंतर्गत समिति के कार्य निम्नलिखित है :

"226. समिति के कार्य

1. यदि किसी प्रश्न का उत्तर सरकार से समय से प्राप्त न हो अथवा उत्तर संतोषजनक न हो और अध्यक्ष ऐसा करना उचित समझें, तो वह उस मामले को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को निर्दिष्ट कर सकेंगें ।
2. प्रश्नों के अतिरिक्त सदन में संबंधित अन्य कोई मामला, जो नियमों के अन्तर्गत किसी अन्य समिति के क्षेत्राधिकार में न आता हों, अध्यक्ष द्वारा समिति को विचार हेतु निर्दिष्ट किया जा सकेगा ।'

संक्षिप्त तथ्य:

माननीय सदस्य चौधरी फतेह सिंह ने माननीय अध्यक्ष महोदय को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया कि उन्हें परिवहन विभाग से संबंधित अतारांकित प्रश्न संख्या 28 दिनांक 23.11.2015 का जो उत्तर मिला है, वह ठीक नहीं है (प्रश्न का उत्तर परिशिष्ट 1 पर अवस्थित है)। माननीय सदस्य का विचार था कि उन्हें दिया गया उत्तर उस सूचना से अलग है जो इस विषय पर सूचना के अधिकार के अंतर्गत इसी विभाग से प्राप्त की गई है।

माननीय सदस्य ने अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के द्वारा यह जानना चाहा था कि क्या सरकार ने डीएसआईआर (एक निजी एजेंसी) को प्राथमिक चिकित्सा देने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए अनुमति देने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। विभाग ने उत्तर दिया कि इसे स्वीकार नहीं किया गया है। माननीय सदस्य ने माननीय अध्यक्ष महोदय को अपने पत्र दिनॉक 11.1.2016 के माध्यम से सूचित किया कि यह उत्तर ठीक नहीं है क्योंकि विभाग ने व माननीय मंत्री महोदय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने अपने इस तर्क के समर्थन में सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत कीं।

समिति ने परिवहन विभाग से स्पष्टीकरण मांगने का निश्चय किया और तदनुसार प्रश्न एवं संदर्भ समिति की 10 फरवरी, .2016 को एक बैठक आहूत की गई।

विभाग का उत्तर :

दिनांक 10.2.2016 को बैठक में प्रधान सचिव (परिवहन) श्री परिमल राय ने समिति को सूचित किया कि जून, 2012 में विभाग ने प्राथमिक चिकित्सा देने का प्रशिक्षण देने के लिए, जो दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 के अंतर्गत संवाहक का लाइसेंस दिए जाने हेतु एक पूर्वअर्हता है, अतिरिक्त एजेंसियों को अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव किया था। उन्होंने सूचित किया कि वर्तमान में यह प्रशिक्षण केवल एक एजेंसी 'सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया' द्वारा दिया जा रहा था जिसके परिणामस्वरूप आवेदकों को काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। अतः विभाग ने प्रस्ताव किया कि गैरसरकारी संस्थाओं/समितियों/अस्पतालों/नर्सिंग होम्स जैसी और संस्थाओं को भी यह प्रशिक्षण देने की अनुमति दी जाए। इन परिवर्तनों को समाहित करने के लिए दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 में संशोधन करना आवश्यक था अतः प्रस्ताव माननीय उपराज्यपाल

महोदय को भेजा गया जो इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी थे। तथापि उपराज्यपाल महोदय ने टिप्पणी की थी कि स्वास्थ्य विभाग के साथ परामर्श करके नियम व दिशानिर्देशों का प्रारूप तैयार किया जाए। प्रधान सचिव, परिवहन ने तर्क दिया कि क्योंकि सक्षम प्राधिकारी ने प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी थी, अतः विभाग द्वारा दिया गया अतारांकित प्रश्न का उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं था। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि उत्तर और अधिक स्पष्ट होना चाहिए था जिसमें प्रस्ताव के बारे में सारे तथ्य व उसकी वर्तमान स्थिति दी जाती।

प्रधान सचिव (परिवहन) ने यह भी स्वीकार किया कि 2012 में माननीय उपराज्यपाल द्वारा प्रस्ताव लौटाए जाने के बाद इसे अंतिम रूप देने में काफी विलंब हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया कि दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 में संशोधन की अधिसूचना दो महीने की अवधि में जारी कर दी जाएगी।

संस्तुतियां :

समिति ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि डीएसआईआर को प्राथमिक चिकित्सा देने हेतु प्रशिक्षण की अनुमति देने का प्रस्ताव विभाग एवं माननीय मंत्री द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और अनुमोदन के लिए इसे माननीय उपराज्यपाल महोदय को भेजा गया था। समिति ने इसे गंभीरता से लिया कि माननीय सदस्य चौधरी फतेह सिंह द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न के भाग – 2 का उत्तर तथ्यात्मक स्थिति को स्पष्ट नहीं करता जिससे इसी प्रश्न के भाग – 3 का उत्तर भी गलत दिया गया। समिति ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्ताव को स्वास्थ्य विभाग के साथ परामर्श करके नियम व दिशानिर्देश तैयार किए जाने के लिए लौटाना किसी भी तरह से प्रस्ताव का अनुमोदन न करना नहीं माना जा सकता। वास्तव में उपराज्यपाल महोदय की टिप्पणी का सार यह है कि परिवहन विभाग स्वास्थ्य विभाग की सम्मति से आवश्यक अधिसूचना जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। समिति की राय थी कि अतारांकित प्रश्न का उत्तर सारे तथ्य व प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति को दर्शाए बिना मशीनी तरीके से तैयार किया गया। विधान सभा प्रश्न माननीय सदस्यों के लिए सरकार के विभिन्न प्रस्तावों व परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं। समिति ने संबद्ध विभाग को चेतावनी दी कि भविष्य मे तथ्यों का ऐसा गलत प्रस्तुतीकरण न हो। समिति ने आशा व्यक्त की कि सामान्यतः सभी विभाग और विशेष रूप से परिवहन विभाग विधायी उपकरणों के महत्व को समझेंगे और अपने उत्तर पूरी सावधानी और सजगता के साथ देंगे।

(बंदना कुमारी)
उपाध्यक्ष एवं सभापति
प्रश्न एवं संदर्भ समिति